कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म०प्र0

क्रमांक / स्था० / 2021 / 8446

छिन्दवाड़ा दिनांक – 30/04/2021

विज्ञप्ति सूचना

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग "मंत्रालय" मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2—60/2017/55—2 भोपाल दिनांक 06.05.2017/12.05.2017 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 1554—63/स्था0/अराज/2020 भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के अंतर्गत स्टॉफ नर्स के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदेश के शासकीय नर्सिग/शासकीय/स्वशासी नर्सिग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक र्रे के सीधि पत्र किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट www.govtmedicalcollegechhindwara.com पर उपलब्ध है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कि 2021 (शासकीय कार्य दिवस) सीधी भर्ती:- स्टाफ नर्स कुल पद 35 स्टॉफ नर्सों के पदों का नवीन आरक्षण रोस्टर अनुसार आरक्षण वर्गीकरण

क्र.	पदनाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	वेतनमान लेवल
1	स्टॉफ नर्स (संविदा कर्मचारियों को छोड़कर)	35	10	7	6	9	3	5200-20200+ 2800

1. न्यूनतम अर्हता

- 1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- 2. बी.एस.सी (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।
- 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौसिल में पंजीकृत परिचारिका।

2. वेतनमान एवं अन्य शर्ते -

- 1. स्टॉफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000 / (दस हजार रूपये) पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत स्टॉफ नर्सो की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।
- 2. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3—13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परिवीक्षा अविध में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3. आरक्षण -

- 1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।

- 3. आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ट) के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के पदों में 06 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु 06 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गये हैं।
- 5. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को निःशक्ता प्रमाण–पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मत्रांलय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक. भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.04.1999 द्वारा संशोधित करते हुए किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 20 प्रतिशत "होरिजेण्टल" (प्रवर्गवार) आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक हेतु तृतीय श्रेणी 20 प्रतिशत के अनुसार कुल रिक्तियों पर पद आरक्षित रखे गये है।
- 7. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जारी विज्ञप्ति में किया गया हैं।
- 8. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 30 मई 2019 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (सहिरया, बैगा एवं भारिया) के लिए किये गये विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, जिला मण्डला, डिडौरी, शहडोल, उमिरया, बालाघाट, गुना एवं अशोकनगर की सहारिया की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

9.

4. आवेदन शुल्क –

अनारक्षित श्रेणी हेतु 1000 / – (एक हजार रूपये) एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 800 / – (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं निःशक्तजन) उम्मीदवारों के लिए के लिए निर्धारित किये जाते है। अधिष्ठता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

	Account Details
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

5. आयु सीमा -

अधिकतम आयु म०प्र० शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म०प्र० शासन के नियमानुसार होगी। समस्त पदों के लिये न्यूनतम आयु—सीमा 18 वर्ष तािक अधिकतम आयु—सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित / अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वशासी में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यार्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेगे।

सामान्य शर्ते –

- यह नियुक्ति "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" के अधीन होगी।
- 2. यदि कोई आवेदक किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उस आवेदन पत्र के साथ मूल नियोक्ता का अनापित्त/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 3. आयु की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- 4. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
- 5. दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा, उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।
- 6. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था में अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- 7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हो तो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापित्ति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
- 8. यदि आवेदक पूर्व से अन्य शासकीय संस्था में सेवारत है तो उस आवेदक को मूल नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यहै।
- 9. अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 10. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं आध्यकारी होगा।
- 11. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रहेगा।
- 12. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

7. सेवा अनुबंध सह प्रतिमृति पत्र -

स्टॉफ नर्स का न्यूनतम 03 वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

8. अनहर्तायें –

- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जिरये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पित हो, एसे महिला/पुरूष नियक्ति के लिए पात्र नहीं होगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल पत्र प्रस्तुत करने पर।

- कदाचरण संबंध— किसी भी ऐसे उम्मीवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा। यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध हुआ हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले से दोष सिद्ध हुआ है।
- जिस आवेदक की दो या दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

9. चयन प्रक्रिया (स्टॉफ नर्स का वेटेज निम्नानुसार रहेगा) —

- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20 /2020 /1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल के पृष्टाकंन क्रमांक 1554-63/स्था0/अराज/2020 भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन म0प्र0 शासकीय निर्सिग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति की जावेगी। "उपरोक्त प्रक्रिया से पद भरने के उपरांत शेष रिक्त पदों के लिए अन्य संस्थाओं से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों के लिए 100 बिन्दू रोस्टर का पालन एवं मध्यप्रदेश स्वशासी आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाये।"
- विज्ञापित पदों हेतु अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यार्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों में से प्रवीण्य सूची बनाई जायेगी जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंको के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणीवार तैयार की जायेगी। उक्त मेरिट अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा।
- स्टॉफ नर्स की पृथक-पृथक प्रवीणीय सूची तैयार की जावेगी।
- प्रवीणीय सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जायेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। जिन्होनें आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आईता में अधिक अंक प्राप्त किये है, ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित किया जावेगा।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1485—99 / स्था० / नर्सिग / 2018, भोपाल दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूची तैयार की जावेगी।
- चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वैटेज निम्नानुसार रहेगा) उक्त पद हेतु चयन, कक्षा बारहवीं के प्राप्तांक, बी.एस.सी. नर्सिंग / जी.एन.एम. नर्सिंग में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। बी.एस.सी. नर्सिंग को अधिक वेटेज दिया जाएगा।

Higher Secondary (12th) Percentage (%X0.2) (Max 20 Marks)	Bsc/GNM Percentage (%X0.5) (Max 50 Marks)	Bsc = 25 GNM = 15	Msc = 05	Total = 100

10. महत्वपूर्ण टीप –

- उपरोक्त तिथियां छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीवारों के हित में है कि वे छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा की वेबसाइट www.govtmedicalcollegechhindwara.com.in में देख सकते है, इस संबंध में छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय—समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है, तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन पत्र में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।
- मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7—22/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30 मई 2019 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) के लिए किये गये विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दितया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर की सहारिया/सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी। उन अभ्यार्थियों को निर्धारित प्रपन्न पर आवेदन छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में डॉक या स्वयं आकर आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया गया जावेगा।

्रिष्टिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाडा म०प्र0

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म०प्र0

आवेदन प्रारूप

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित फोटो

आवेदन शुल्क (अनारक्षित –1000/ – एवं अजा.,अजजा.,अपिव., ईडब्ल्यू.एस., निःशक्तजन–800/ –) आर.टी.जी.एस.निम्नलिखात दर्शित के नाम से कर रसीद संलग्न करे।

	Account Details
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

पदनाः	म — स्टॉफ नर्स
1.	आवेदक का नाम उपनाम
2.	पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)
4.	जन्मतिथि (अंको में)/
	जन्मतिथि (शब्दों में)
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)
	तहसीलपिनकोड
	शहर का नाम फोन नं
	मोबाइल नंई-मेल आईडी
6.	स्थाई पता
	तहसीलपिनकोड
6.	आधार कार्ड नम्बर (हो तो) छायाप्रति संलग्न करें।
7.	अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर (सक्षम
	अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।)
8.	विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि
9.	नर्सिग कौसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक दिनांक
10.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
11.	सेवारत (नियमित / संविदा) होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापित प्रमाण पत्र
	संलग्न करे।

- निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न 12. होने का स्वधोषित शपथ पत्र संलग्न करे।
- विधवा / परित्यकक्ता / तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पद्विषयक शपथ पत्र संलग्न करे।
- शैक्षणिक योग्यताऐ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) 14.

क्र	परीक्षा का नाम	शासकीय नर्सिंग स्कूल/शासकीय /स्वशासी एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णाक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	

			٧.	_	 -	(ਤਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ੀਸ਼ਰ	को टोकॉ पी	संलग्न	करे।)
15.	संलग्न	प्रमाण	पत्रा	का	सूचा	(स्वप्रमाणित	471 (1471 47		,

- जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची।
- 2. कक्षा 12 वी की अंकसूची ।
- 3. स्नातक की अनुसूची।
- 4. ई.डब्लू.एस. / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / भू.पू. सैनिक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र।
- 6. आधार कार्ड।
- 7. अनुभव प्रमाण पत्र / अन्य संथाओं में कार्यरत होने पर मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 8. अन्य प्रमाण पत्र।

स्थान	आवेदक	का	पूरा	नाम	एवं	हस्ताक्षार
दिनॉ क						

//स्वप्रमाणित शपथ पत्र//

- 1. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आर.आई दर्ज नहीं है और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलन में नहीं है।
- 3. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- 4. मुझ पर मध्यप्रदेश शासकीय / स्वशासी चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के नियम एवं संशोधित नियम पूर्णरूपेण बंधनकारी होगे।
- 5. मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न जानकारी, दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति कूट रचित/फर्जी पाई जाती है, मेरी उम्मीदवारी निरस्त मान्य करते हुये मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जावें।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षार